

राजस्थान सरकार  
परिवहन विभाग

परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर राजस्थान  
क्रमांक: एफ 25(74)/पार्ट-II/परि/कम्प्यू/2016/7463 जयपुर, दिनांक: 21.05.2020

संशोधित आदेश


इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 25(74)/पार्ट-II/परि/कम्प्यू/2016/7448 दिनांक 21.05.2020 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

1. बिंदु संख्या 2 a को निम्नानुसार पढा जावे :-

लाईसेंस संबंधित कार्य प्रारंभ होने के उपरांत प्रथम वरीयता उन आवेदकों को दी जानी है जिन्होंने लॉकडाउन अवधि का स्लॉट बुक करवा रखा था एवं 21.03.2020 के पश्चात लॉक डाउन के कारण कार्यवाही लम्बित है।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि लाईसेंस संबंधित कार्य उप परिवहन कार्यालयों में भी निष्पादित किया जावे एवं आवेदकों को उन्हे आवंटित स्लॉट की अवधि में ही सेवा प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जावे।


लाईसेंस संबंधित कार्य अविलंब प्रारंभ किया जावे।

  
(रवि जैन)

शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त

क्रमांक: एफ 25(74)/पार्ट-II/परि/कम्प्यू/2016/7464-74 जयपुर, दिनांक: 21.05.2020  
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन।
3. समस्त जिला कलेक्टर।
4. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक।
5. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव।
6. संयुक्त शासन सचिव एवं अतिरिक्त परिवहन आयुक्त (प्रशा.)।
7. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
8. तकनीकी निदेशक, NIC
9. समस्त प्रादेशिक/अति प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
10. सिस्टम एनालिस्ट।
11. जन संपर्क अधिकारी को समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।

  
संयुक्त परिवहन आयुक्त (IT)